

कार्यालय नगर परिषद टिमरनी जिला – हरदा (म.प्र)

दूरभाष क्रमांक – 07573-230239

E-Mail ID – cmotimarni@mpurban.gov.in

क्र 390/लो.नि /2020

टिमरनी, दिनांक 02.03.2020


// ऑनलाईन निविदा सूचना //

निम्न कार्य हेतु निविदा वेवसाईट www.mptenders.gov.in निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु दरें आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेवसाईट पर दिनांक 03.03.2020 से 17.03.2020 तक क्रय की जा सकती है। बीड समिट 17.03.2020 सायं समय 5.30 बजे तक वेवसाईट पर एवं निकाय वेवसाईट www.nptimarni.co.in देखी जा सकती है। निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवाये पर लागू जी.एस.टी. छोडकर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवायें पर लागू जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जायेगा।

क्र.	एन.आई.टी. नंबर	टेंडर नंबर	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	अनुमानित राशि लगभग	अमानत राशि	निविदा फार्म मूल्य	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	PAC-7	8	9	10
1	390		वार्ड क्रमांक 01 एवं 02 में सीमेंट रोड रेस्टोरेशन कार्य।	न.पा. निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 10.05.2012 से प्रभावशील	965250.00	9700.00	2000	2 माह

शर्तें :-

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक की होगी।
2. (अ) निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व ठेकेदार को उचित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति फर्म की होने की दशा में साझेदारी की डीड एवं पावर ऑफ एटार्नी की प्रति प्रस्तुत करना होगा। (ब) वर्तमान आयकर चुकता प्रमाण पत्रवाणिज्यिक कर अधिनियम की कंडिका 36 के अनुसार पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र (स) नो रिलेशन शीप प्रमाण पत्र।
3. अमानत राशि ऑनलाईन भुगतान द्वारा/डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा कराना होगा।
4. निर्माण कार्य का प्राक्कलन ड्राईंग डिजाईन एवं संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में नगर परिषद के लोक निर्माण शाखा से ली जा सकती है।
5. म.प्र. नगरपालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 का नियम 217(ख) अनुसार संविदाकारों से अनुबंध के समय तीन प्रतिशत निष्पादन राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जाना होगी।
6. ठेकेदार का ई.पी.एफ पंजीयन होना अनविर्य है।
7. अन्य शर्तें नगर परिषद के लोक निर्माण के कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।
8. कार्य में जी.एस.टी. नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
9. दरें 15% ISSR से कम प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी जमा करनी होगी।
10. 7% सुरक्षा निधि प्रत्येक रनिंग देयक में से काटी जावेगी
11. ठेकेदार को दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के प्रकरण में ठेकेदार देयक से किये गये कार्य के मूल के 10% की कटौती की जायेगी।
12. 10% वाटर टेक्स देयक में से काटा जावेगा यदि जन नगरीय/शासकीय स्रोत से लिया गया है। अन्य शर्तें लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
13. पृथक-पृथक देयकों के पूर्व रायल्टी प्रस्तुत करना होगी।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा